पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/7326/अका./2012 रायपुर, दिनाँक 14/05/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 7 मई, 2012 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. (श्रीमती)आभा रूपेन्द्रपाल	–	सदस्य
3.	प्रो.(श्रीमती) रीता वेणुगोपाल	–	सदस्य
4.	प्रो. व्यासनारायण दुबे	–	सदस्य
5.	प्रो. ए.के. शर्मा	–	सदस्य
6.	प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
7.	प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
8.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
9.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
10.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11.	डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
12.	डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	–	सदस्य
13.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
14.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
15.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
16.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
17.	डॉ. उज्ज्वल पाटनी	–	सदस्य
18.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
19.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
20.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
21.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2012 एवं आपात बैठक 04.04.2012 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णयः विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.03.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 04.04.2012 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2012 एवं आपात बैठक 04.04.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 24.03.2012 एवं आपात बैठक दिनांक 04.04.2012 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई।**

(i) पूरक विषयसूची कमांक एक– **एलियेंस निजी** विश्वविद्यालय बैंगलोर के दो–वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के संबंधित यू.जी.सी./ए.आई.यू. को लिखे गये पत्र की तिथि की जानकारी दी जाए।

(ii) पालन प्रतिवेदन में पालन के संबंध में की गई कार्यवाही तिथि का उल्लेख किया जावे।

(iii) कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 4.4.2012 विषय कमांक 2 सभी सदस्यों को सी.एस. आई.डी.सी. से प्राप्त पत्र दिनांक 18.04.2012 की जानकारी दी गई। कार्यपरिषद् सदस्यों को कुलपति ने अवगत कराया कि मेसर्स, राधे सिस्टम ने पत्र कमांक.... दिनांक 10.04.2012 के माध्यम से सूचित किया है कि **इस प्रकरण पर** मितश्री इंफोटेक अधिकृत विक्रेता एच.सी.एल. लि. के द्वारा **कुलसचिव को सम्बोधित पत्र** दिनांक 04.04.2012 में दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं। इस संबंध में निम्नानुसार **निर्णय** लिया गया–

"प्रकरण में संबंधित शिकायतकर्ता मेसर्स, राधे सिस्टम रायपुर ने विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल किया है तथा कुछ दैनिक समाचार पत्रों द्वारा समाचार को प्रकाशित कर विश्वविद्यालय को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश किया है, अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि मेसर्स, राधे सिस्टम रायपुर द्वारा लिखित में क्षमा याचना किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाये जिसमें स्पष्ट कर दिया जाय कि उनके द्वारा लिखित क्षमा याचना न किये जाने की स्थिति में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित समाचार पत्रों के संपादक को भी पत्र लिखा जाये कि घटना की पुष्टि किये बगैर समाचार प्रकाशित होने से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। अतः इसका शीघ्र खंडन करें।"

विषय क्रमांक–3

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय के साथ किया गया–

(i) स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2012 के विषय कमांक 2 घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय दुर्ग के बी.कॉम. तृतीय वर्ष कम्प्युटर एप्लीकेशन विषय की सम्बद्धता पर निरीक्षण समिति द्वारा की गई अनुशंसा के संदर्भ में कार्यालय द्वारा स्पष्ट जानकारी दी जाय।

विषय क्रमांक–4

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की आपात बैठक दिनांक 26.04.2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की आपात बैठक दिनांक 26.04.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय के साथ किया गया–**

''विषय कमांक–2 एवं अध्यक्ष की अनुमति से विषय कमांक 1 के संदर्भ में विस्तृत जानकारी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।''

विषय क्रमांक–5

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत प्रदाय करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–6

वित्त विभाग की वर्तमान इम्प्रेस्ट राशि रु. 5000/– के स्थान पर रु. 10,000/– किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : **वित्त विभाग के वर्तमान इम्प्रेस्ट की राशि रु. 5000/– के स्थान पर रु. 10,000/– किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके साथ यह भी निर्णयलिया गया कि अन्य विभागों के द्वारा इम्प्रेस्ट राशि में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव आने पर अधिकतम राशि रु. 10,000/– तक के लिए निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

विषय क्रमांक–7

रेसोग्राफी मशीन कय का देयक रु. 6,38,654.00 भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **रेसोग्राफी मशीन कय का देयक राशि रु. 6,38,654.00 भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

विषय क्रमांक–8

छत्तीसगढ़ संवाद से प्राप्त उत्तरपुस्तिका निर्माण देयक रु. 50,20,400/– की भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना ।

निर्णयः **छत्तीसगढ़ संवाद से प्राप्त उत्तरपुस्तिका निर्माण देयक रु. 50,20,400/– के भुगतान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।**

पूरक विषयसूची–

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.05.2012 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णयः विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.05.2012 के कार्यवृत्त का अनुमोदन निम्नलिखित निर्णय को शामिल करते हुए किया गया :

"विषय कमांक 2 के संदर्भ में स्थायी समिति के निर्णय के साथ यह भी शामिल किया जाय कि संबंधित संस्था द्वारा कितने भवन में कितने कोर्स संचालित की जा रही है।

विषय कमांक 3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र कमांक F.1-7/2007(CPP-I/C) दिनांक 20 अप्रैल 2012 के अनुरूप विश्वविद्यालय विनियम 129 में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि परिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए प्रकरण अनुमोदन हेतु समन्वय समिति में भेजी जाय।"

विषय क्रमांक–2

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय–रायपुर के वित्त निर्देश 24/2012 पत्र क्रमांक 148/वित्त/नियम/चार/12 रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के द्वारा राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य शासन से अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि के संबंध में विचार करना ।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय–रायपुर के वित्त निर्देश 24/2012 पत्र कमांक 148/वित्त/नियम/चार/12 रायपुर दिनांक 28 अप्रैल, 2012 के द्वारा राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं संबंधित परिनियम में संशोधन करते हुए प्रस्ताव समन्वय समिति में भेजी जावे।

विषय क्रमांक–3

उड़नदस्ता के सदस्यों के पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ता दल के सदस्यों को निम्नलिखित पारिश्रमिक प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई–

(i) उड़नदस्ता के सदस्यों को प्रति केन्द्र/प्रति पाली रु. 100/–

(ii) तीन या अधिक परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु रु. 275/–

(iii) शहर के बाहर के महाविद्यालयों में निरीक्षण हेतु दैनिक भत्ता राज्य शासन के नियम के तहत देय होगा।

विषय क्रमांक–4

श्री पैरीगंगा महाविद्यालय, मैनपुर में मुख्य परीक्षा दिनांक 15.03.2012 को आयोजित प्रश्नपत्र अंग्रेजी भाषा में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में विचार करना ।

निर्णयः **श्री पैरीगंगा महाविद्यालय, मैनपुर, जिला–गरियाबंद में दिनांक 15.03.2012 को तृतीय पाली में बी.ए. भाग–3 की आयोजित परीक्षा प्रश्नपत्र आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में सामूहिक नकल के प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया –**

(i) संबंधित महाविद्यालय को पांच वर्ष तक **परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।**

(ii) संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, **सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं उक्त तिथि के वीक्षक को पांच वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया जावे।**

(iii) निरस्त की गई **प्रश्नपत्र की परीक्षा पुनः आयोजित की जावे, जिसका परीक्षा केन्द्र अन्य** महाविद्यालय में रखी जावे।

(iv) समस्त महाविद्यालय को इसकी सूचना दी जाय एवं वेबसाइट में भी अपलोड किया जावे।

विषय क्रमांक–5

छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव में मुख्य परीक्षा दिनांक 21.03. 2012 को आयोजित प्रश्नपत्र बी.ए.एम.एस.(प्रोफेशनल) द्वितीय ''अगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद'' की मुख्य/पूरक परीक्षा एवं बी.ए.एम.एस.(प्रोफेशनल) तृतीय ''काय चिकित्सा–प्रथम'' की मुख्य/पूरक में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में विचार करना ।

निर्णयः **छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव में मुख्य परीक्षा दिनांक 21.03. 2012 को आयोजित प्रश्नपत्र बी.ए.एम.एस.(प्रोफेशनल) द्वितीय ''अंगदतंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद'' की मुख्य/पूरक परीक्षा एवं बी.ए.एम.एस.(प्रोफेशनल) तृतीय ''काय चिकित्सा–प्रथम'' की मुख्य/पूरक में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

(i) संबंधित महाविद्यालय को पांच वर्ष तक **परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।**

(ii) संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं उक्त तिथि के वीक्षक को पांच वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया जावे।

(iii) निरस्त की गई **प्रश्नपत्र की परीक्षा पुनः आयोजित की जावे, जिसका परीक्षा केन्द्र अन्य** महाविद्यालय में रखी जावे।

(iv) समस्त महाविद्यालय को इसकी सूचना दी जाय एवं वेबसाइट में भी दिया अपलोड किया जावे।

विषय क्रमांक–6

रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, महासमुंद में मुख्य परीक्षा दिनांक 16.04.2012 को आयोजित बी.काम.भाग–1, प्रश्नपत्र द्वितीय "बिजनेस इकानामिक्स" में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, महासमुंद में मुख्य परीक्षा दिनांक 16.04.2012 को आयोजित बी.काम.भाग–1, प्रश्नपत्र द्वितीय "बिजनेस इकानामिक्स" में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

(i) संबंधित महाविद्यालय को पांच वर्ष तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(ii) संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं उक्त तिथि के वीक्षक को पांच वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया जावे।

(iii) निरस्त की गई प्रश्नपत्र की परीक्षा पुनः आयोजित की जावे, जिसका परीक्षा केन्द्र अन्य महाविद्यालय में रखी जावे।

(iv) समस्त महाविद्यालय को इसकी सूचना दी जाय एवं वेबसाइट में भी अपलोड किया जावे।

विषय क्रमांक–7

वर्ष 2010–11 की मुख्य परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप मूल अंक से 30 प्रतिशत अधिक अंतर होने संबंधी प्रकरण पर विचार करना।

निर्णयः वर्ष 2010–11 के मुख्य परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप मूल अंक से 30 प्रतिशत अधिक अंतर होने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न सूची में उल्लेखित शिक्षकों को आगामी दो वर्ष के लिए परीक्षा संबंधी समस्त कार्य से वंचित करने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–8

कुलपति के लिए नये वाहन क्रय करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः कुलपति को आवंटित वाहन क्रमांक CG 04 B 1003 एम्बेस्डर कार के स्थान पर नये वाहन मारूति SX4,5 seater DGS&D rate रु. 641588.00 क्रय करने हेतु अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक–9

मेसर्स ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को देयक रु. 13,89,406.00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः मेसर्स, ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा.लि. इंदौर को देयक रु. 13,89,406.00 के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक-10

विंध्यवासिनी महाविद्यालय, सनौद बोहरा, जिला–बालोद में सामूहिक नकल प्रकरण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विंध्यवासिनी महाविद्यालय सनौद बोहरा, जिला–बालोद में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03.05.2012 को आयोजित बी.ए.भाग–1, तृतीय पाली आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा की परीक्षा में उड़नदस्ता दल एवं जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल द्वारा संयुक्त रूप से सामूहिक नकल प्रकरण बनाने संबंधी प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा को अनुमोदन करते हुए संबंधित महाविद्यालय की संबंधित तिथि में आयोजित परीक्षा निरस्त किये जाने हेतु अनुमोदन किया गया। इसके साथ–साथ निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

(i) संबंधित महाविद्यालय को पांच वर्ष तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय।

(ii) संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं उक्त तिथि के वीक्षक को पांच वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया जावे।

(iii) निरस्त की गई प्रश्नपत्र की परीक्षा पुनः आयोजित की जावे, जिसका परीक्षा केन्द्र अन्य महाविद्यालय में रखी जावे।

(iv) समस्त महाविद्यालय को इसकी सूचना दी जाय एवं वेबसाइट में भी अपलोड किया जावे।

विषय क्रमांक-11

शांतिनिकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा (सीलबंद लिफाफा) पर विचार करना।

निर्णयः शांतिनिकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाटा, रायपुर में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का सीलबंद लिफाफा खोला गया, कोई भी आवेदक चयन हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय :–

1. कार्यपरिषद सदस्य श्री अशोक लोहिया द्वारा श्री सौरभ सोनी, परीक्षार्थी बी.बी.ए., कान्फ्लूएंश कालेज, राजनांदगांव, प्रथम सेमेस्टर एवं पंचम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करने के संबंध में प्राप्त पत्र के संबंध में कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप पर विचार किया गया। इस प्रकार के अन्य छात्र भी हो सकते हैं तथा इसी प्रकार अन्य प्रकरण जैसे बी.ई. में भी छात्र हैं। इस प्रकार के

प्रकरण पर पूर्व में भी कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। अतः सभी बिंदुओं के साथ तथ्यों के परीक्षण के बाद अभिमत देने हेतु निम्नलिखित समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया ।

1. डॉ. आर.पी. दास, संकायाध्यक्ष, प्रबंधन संकाय एवं निर्देशक, प्रबंधन संस्थान – समन्वयक
2. श्री अशोक लोहिया, कार्यपरिषद सदस्य – सदस्य
3. श्री एम.आई. मेमन, कार्यपरिषद सदस्य – सदस्य

2. RAKSHIT & ASSOCIATES द्वारा प्रस्तुत MANAGEMENT AUDIT REPORT कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर निर्णय लिया गया कि रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय कार्यवाही करे तथा इस संबंध में संबंधित कार्य के बदले RAKSHIT & ASSOCIATES के लिए शुल्क निर्धारण हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

3. विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के पाठ्यक्रमों में सत्र 2012–13 के लिए प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई ।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक 7327/अका./का.प./2012 रायपुर, दिनांक 14/05/2012

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर ।
3. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यो को ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त अधिकारी/प्रभारी अंकेक्षण,
6. समस्त विभागीय अधिकारी,
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)